न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

प्र0न0 — 02/2022

उनवान : --

1. सुभाष पुत्र स्व0 धर्मपाल जाति सुनार निवासी हुणतपुरा त0 भादरा। प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र रिकॉर्डदुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :—श्री महेन्द्र जांगीड प्रार्थी
राजपैरोकार अप्रार्थी

निर्णय दिनांक 9/12/22

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा ग्राम रासलाना के खाता सं0 273/253 के खसरा सं0 185 की कुल 13.4050है0 में पालीराम वल्द डुंगरराम के नाम 1.1050है0 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उपरोक्त वर्णित वाद भूमि में प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में धर्मपाल पुत्र डूगरराम के स्थान पर पालीराम पुत्र डूंगर दर्ज है। जबकि प्रार्थी के पिता का सही नाम धर्मपाल पुत्र डूंगरराम है। प्रार्थी के सभी दस्तावेजों व धर्मपाल के सभी दस्तावेजों में प्रार्थी के पिता का नाम धर्मपाल ही दर्ज है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थी अपने हक–हिस्सों के उपयोग–उपभोग से आज दिनांक तक वंचित है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में उक्त नाम की शुद्धि करवा पाने का कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद अप्रार्थी ने अपना जवाब पेश किया तथा तहसीलदार भादरा से रिपॉर्ट प्राप्त की गई।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी के पिता का सही नाम धर्मपाल पुत्र डूंगरराम है जबकि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम पालीराम/पालीवाल दर्ज हो गया जिससे प्रार्थीगण को विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है अतः मुताबिक प्रार्थी के दस्तावेजों व रिपॉर्ट तहसीलदार के प्रार्थी के पिता का सही नाम धर्मपाल पुत्र डूंगरराम दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजात यथा पहचान पत्र, ... आदि में नाम धर्मपाल पुत्र डूंगरराम जन आधार, प्रार्थी के पिता का पहचान पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि में नाम धर्मपाल पुत्र डूंगरराम ही है तथा तहसीलदार भादरा की रिपॉर्ट के अनुसार भी प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व

...कार्ड में पालीराम/पालीवाल के स्थान पर धर्मपाल पुत्र डूंगरराम किया जाना उचित है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि वे रोही मौजा ग्राम रासलाना के खाता सं0 273/253 के खसरा सं0 185 की कुल 13.4050है0 में पालीराम वल्द डुंगरराम के नाम 1.106है0 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में प्रार्थी के पिता का नाम पालीराम/पालीवाल पुत्र डूंगर की जगह सही नाम धर्मपाल पुत्र डूंगरराम दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। यदि किसी संस्था, किसी न्यायालय आदि में कोई मुकदमा अथवा कोई बकाया देय आदि पालीराम/पालीवाल के नाम से हो तो उसके लिए प्रार्थी के पिता का नाम पालीराम/पालीवाल ही लागू होगा।

निर्णय आज दिनांक 9/12/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुंतला चौधरी)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ